



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र – (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 2785 / रेनुकूट / 15-28 दिनांक, रेनुकूट, फरवरी, 06, 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर, उ०प्र०।

विषय: जनपद-सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 के०वी० विद्युत पारेषण लाईन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को 25 वर्षों (दिनांक- 09.02.2016 से 08.02.2041 तक) के लिये नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या-
1560/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/ड्रान्स/18048/2016 लखनऊ दिनांक- 04.02.2020

महोदय,

विषयक संदर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी व संस्थान को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में वांछित सूचना/अभिलेख टेबुलर फार्म में निम्नानुसार संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या- 1560/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/ड्रान्स/18048/2016 लखनऊ दिनांक- 04.02.2020 द्वारा लगायी गयी आपत्ति का विवरण	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	भारत सरकार की आपत्ति संख्या-5 के निराकरण के क्रम में भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक- 29.10.2018 के अनुसार उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना में ब्याज केवल एक वर्ष का लिया गया है, जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी जाने वाली दण्डात्मक एन०पी०वी० की संशोधित गणना प्रमाण-पत्र संलग्न है।

भवदीय,

(एम०पी०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

जनपद-सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 केवी0 विद्युत पारेषण लाईन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के लीज समाप्ति की तिथि दिनांक- 08.02.2016 से आगामी 25 वर्षों (दिनांक- 09.02.2016 से 08.02.2041 तक) के लिये नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक- 29.01.2018 के अनुसार उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी जाने वाली निर्धारित दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना ।

क्र0 सं0	प्रकरण का विवरण	प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि	इको क्लास एवं वानस्पति क धनत्व के अनुसार एन0पी0व ी0की निर्धारित धनराशि प्रति हे0 रू0 लाख में	एन0पी0वी0की निर्धारित कुल धनराशि रू0 में	एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि का पॉचगुणा धनराशि	एन0पी0वी0की निर्धारित कुल धनराशि पर 12 % साधारण ब्याज की दर से अब तक का साधारण ब्याज	कुल जमा की जाने वाली धनराशि
1	रेणुसागर पावर प्लांट से हिण्डालको प्लांट रेनुकूट तक पूर्व से निर्मित 132 के0 वी0 विद्युत पारेषण लाईन	38.2591 हे0	8.87 लाख प्रति हे0	33935821.70 या 3,39,35,822	16,96,79,110	$16,96,79,110 \times 12 \times 5$ 100 =10,18,07,466.00	16,96,79,110 + 10,18,07,466= 27,14,86,576

(रू0 सत्ताईस करोड़ चौदह लाख छियासी हजार पाँच सौ छिहत्तर मात्र)


(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट